

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 145/2022

जितेन्द्र मेवाड़ा पुत्र श्री राजेन्द्रजी बनाम विप्रार्थी  
जाति मेवाड़ा(कलाल) राजस्थान सरकार जरिये  
निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसीलार पचपदरा  
तहसील पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-


1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 30.9.22

1.संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम बालोतरा खालसा गांव रहा है,जिसमें एक से अधिक सेन्टलमेंट प्रभाव में आये है,प्रथम सेटलमेंट संवत 2012 मुताबिक वर्ष 1955 में प्रभाव में आया। प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितिय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे में परिवर्तन किया गया। कि गत सेन्टलमेंट अनुसार ग्राम बालोतरा पटवार मण्डल बालोतरा में खसरा संख्या 595 खातेदारी/बेरा के रूप में इन्द्राज हुई थी। पुनः बंदोबस्त सम्वत् 2024 के

समय गत सेटलमेंट के अनुसार ही रेकॉर्ड संधारना करना चाहिए था। लेकिन द्वितिय सेटलमेंट में विवादित भूमि खातेदारी/आबादी में इन्द्राज नहीं कर गैर मुमकिन नदी में इन्द्राज कर दी गई। जबकि उक्त भूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरान के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। प्रार्थी को

  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

॥ पट्टाशुदा भूखण्ड के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होने के उपरांत भी राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमांकन करते हुए प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकार्ड में गलत तरमीम कर दी गई। अतः प्रार्थी अपनी मालिकाना स्वामित्व की पट्टाशुदा व कब्जासुदा भूखण्ड के राजस्व नक्शे व खतौनी को गत बंदोबस्त के नक्शे अनुसार दुरुस्त करने व सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पुनः बंदोबस्त के दौरान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के उक्त पट्टासुदा व कब्जासुदा भूखण्ड के खसरा संख्या व भूमि की किसम बाबत किये गये परिवर्तन को गत बंदोबस्त के रेकार्ड अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।


2. प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया तथा विवादित भूमि के संबंध में विप्रार्थी पक्ष की ओर से संशोधित जवाब पेश किया।

3. विवादित भूमि की मौका व रेकार्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

4. प्रार्थी की ओर से दस्तोवजी साक्ष्य में कस्बा बालोतरा के प्रथम बंदोबस्त अनुसार नक्शे की फोटोप्रति, कस्बा बालोतरा के द्वितीय बंदोबस्त अनुसार नक्शे की फोटोप्रति, सुपर इम्पोज नक्शा की फोटो प्रति, स्वामित्व दस्तावेजात पट्टा मय बेचाननामा की फोटो प्रति, 91 नोटिस जवाब की फोटो प्रति, 91 नोटिस जवाब की फोटो प्रति, माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र की फोटो प्रति, सरकार का जवाब आवेदन पत्र की फोटो प्रतियां पेश की गई।

5. उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई थी। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश की गई थी और दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता नें तर्क दिये थे, कि सम्वत् 2012, वर्ष 1955 के पश्चात् सम्वत् 2024 अर्थात् वर्ष 1967 में पुनः सेटलमेन्ट हुआ और सम्वत् 2024 में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो राजस्व नक्शा तैयार किया गया, जिनमें प्रदर्शित विवरणानुसार वर्तमान खसरा नंबर 595 की भूमि गत बंदोबस्त अनुसार गैर मुमकिन नदी नही थी तथा खातेदारी/बेरा के



  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

में उपयोग ली जा रही थी,कि खसरा नंबर 595 की ऊपर वर्णित आबादी भूमि पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों/हकपूर्वाधिकारियों के समय से कब्जा चला आ रहा था और तामिरे भी बनी हुई थी,कि पुनः बंदोबस्त सम्वत् 2024 के समय तैयार किये गये नक्शे का गत बंदोबस्त के नक्शे से मिलान करने पर स्पष्ट हैं,कि वर्तमान खसरा नंबर 595,गत बंदोबस्त के खसरा नंबर 245,261 खातेदारी भूमि के भाग था,यह भूमि सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा पुनः बंदोबस्त सम्वत् 2024 के समय खातेदारी/आबादी भूमि में दर्ज नहीं कर नक्शे में नदी का भाग दर्शा दिया गया और यही नहीं सेटलमेन्ट में पूर्व में जो गैर मुमकिन नदी की स्थिति बताई गई, पुनः बंदोबस्त में गैर मुमकीन नदी की स्थिति को राजस्व नक्शे में मनमाने तरीके से हेरफेर कर दिया गया। प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2012 अर्थात् वर्ष 1955 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया और दुबारा सेटलमेन्ट सम्वत् 2024 वर्ष 1967 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया, उनको देखने मात्र से स्पष्ट हैं कि वर्तमान खसरा नंबर 595 की भूमि गत बंदोबस्त के समय खातेदारी की भूमि थी,उस भूमि को पुनः बंदोबस्त के राजस्व नक्शे में गलत तरीके से नदी की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। जबकि वर्तमान खसरा नंबर 595 की भूमि गत बंदोबस्त के समय नदी के रूप में कतई राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं थी। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि राजस्व नक्शा बनाने में त्रुटि कारित हुई हैं,कि खसरा नंबर 595 की भूमि जो कि खातेदारी भूमि थी, उस भूमि को सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश एवं न्यायालय के आदेश के बगैर राजस्व नक्शे में इस प्रकार से हेर फेर नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा राजस्व नक्शा बनाने में जो त्रुटि कारित हुई हैं,वह दोनो नक्शों एवं खसरा मिलान से भी स्पष्ट हैं। राजस्व नक्शे में कतई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त सेटलमेन्ट में,सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व निर्णय के ही राजस्व रेकार्ड में पुराने इन्द्राज के स्थान पर नये इन्द्राज कर दिये गये एवं भूमि की किस्म को परिवर्तित कर दिया, जिसका कानूनन उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था। सेटलमेन्ट प्रक्रिया में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि-अभिलेख में प्रविष्टियों की निरंतरता को समाप्त नहीं किया जा सकता था एवं राजस्व नक्शे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था,यदि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा ऐसा



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

जाता है तो उनका उक्त आदेश/प्रक्रिया बिना अधिकार के होने से अवैध एवं void ab initio है,ऐसी अवैधता को किसी भी वक्त चुनौती दी जा सकती है,उपरोक्त पदो का विप्रार्थी की ओर से Evasive Reply दिया गया है,जो कि विप्रार्थी द्वारा Deemed Admission (स्वीकारोक्ती) की श्रेणी में आता है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया था,कि विप्रार्थी राजस्थान सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी. बी. सिविल रिट संख्या 544/2020 में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया गया है,उस जवाब में विप्रार्थी राजस्थान सरकार द्वारा यह तथ्य पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है,कि पूर्व में जब जरीब 132 थी तो खसरा नं 299 एवं उसके विभिन्न बट्टो को कुल रकबा 25.17 बीघा था। कालान्तर में विभाग द्वारा जरीब 165X165 की गई थी तो उक्त खसरा संख्या 299 मय बट्टा नंबर का रकबा 16.11 बीघा अंकित किया जाना था,परन्तु खसरा बन्दोबस्त अनुसार 10.01 बीघा भूमि ही खातेदारी में अंकित की गई शेष 06.10 बीघा भूमि सेटलमेन्ट के अधिकारीयो द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकारीता/प्रक्रिया के प्रार्थी की भूमि को राजस्व नक्शे में नदी का भाग बता दिया। नक्शा में भी नदी की स्थिति को पुराने व नये नक्शे में भिन्नता होना जिसमें पुराने नक्शे में नदी की स्थिति को नये सेटलमेन्ट के नक्शे में परिवर्तित करना पाया गया है। जबकि मौके पर नदी की स्थिति में प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि में कोई परिवर्तन नही हुआ एवं सेटलमेन्ट के अधिकारीयो द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण कार्यवाही के प्रार्थी की कब्जा भूमि को नदी दर्ज किया गया है। जबकि मौके पर नदी की स्थिति में प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि में कोई परिवर्तन नही हुआ एवं सेटलमेन्ट के अधिकारीयो द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण कार्यवाही के प्रार्थी की पट्टाशुदा व कब्जा सुदा भूमि को नदी में दर्ज किया गया है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के वर्तमान उक्त पट्टाशुदा व कब्जाशुदा भूमि के राजस्व नक्शों व खतौनी को गत बंदोबस्त के नक्शे अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जावें। अपनी बहस के समर्थन में 1-2022 (2) DNJ (Raj.) 593 Raj. High Court State of Rajasthan V/s Kalu & Ors. 2017 (4) DNJ (Raj.) 1740 Raj. High Court Jodha Ram Brahmin & Anr. V/s Board of Revenue for Rajasthan 3- RRT 2022 (1)



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

बनाम बाबूलाल पृष्ठ 35 4. अपील LR 6933/2011 राजस्व मण्डल अजमेर, उदयलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा वगैरा के न्यायिक दृष्टांत पेश किए गये।

6. इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है, कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी, जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया, तो नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया, जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया गया था, कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में आया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। प्रार्थी द्वारा नगरपालिका बालोतरा में विवादित भूमि के संबंध में गलत तथ्यों के आधार पर विवादित भूमि जो गैर मुमकिन नदी में होने के उपरांत भी पट्टा जारी करवा दियें। ऐसे पट्टे प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होते हैं, क्योंकि विवादित भूमि आबादी में न होकर गैर मुमकिन नदी खसरा संख्या 1741/982 भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि की रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया था, कि राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व



उपखण्ड अधिकारी  
(S.O.) बालोतरा

ख व नक्शा लक्ठा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है,जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है,अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया था,पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था,जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया,जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 245 व 261 का भाग होना पाया गया था। जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रिकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।



उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं न्यायिक दृष्टान्तों का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन-पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही है, कि गत सेटलमेंट में प्रश्नगत विवादित भूमि खातेदारी/आबादी भूमि खसरा संख्या 595 में अवस्थित थी, लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के समय विवादित भूमि आबादी भूमि होने के उपरांत भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी की स्वामित्व पट्टाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में रिकॉर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई, जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रिकॉर्ड इन्द्राज चला आ रहा है, जिसे निरस्त करते हुए विवादित भूमि को आबादी खसरा संख्या 595 की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख व लक्ठा नक्शों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाह रहे हैं, यह तो तय है, कि गत

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बाड़मेर


,मंत के अनुसार प्रश्नगत भूमि आबादी खसरा न 595 की सीमा के भीतर आया हुआ था। और द्वितीय सेन्टलमेंट के दौरान विवादित भूमि आबादी में होने के उपरांत भी तत्कालीन सेन्टलमेंट अधिकारियों द्वारा गैर मुमकिन नदी में अंकन कर दी गई, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि द्वितीय सेन्टलमेंट अधिकारियों को गत सेन्टलमेंट के अनुसार ही रेकॉर्ड रिपीट करना चाहिए था। जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2022(2) DNJ (Raj.) पृष्ठ 593 Raj. High Court State of Rajasthan V/s Kalu & Ors. में प्रतिपादित किया है कि Settlement Department has no right to reduce the area of the land व 2017 (4) DNJ (Raj.) पृष्ठ 1740 Raj. High Court Jodha Ram Brahmin & Anr. V/s Board of Revenue for Rajasthan में प्रतिपादित किया है कि व RRT 2022 (1) तीजो बनाम बाबूलाल पृष्ठ 35 में प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन करने का भू प्रबंध विभाग को अधिकार नहीं है एवं अपील LR 6933/2011 राजस्व मण्डल अजमेर, उदयलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा वगैरा निर्णय दिनांक 03.12.2012 में भी वर्णित है कि राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी का जो भी अंकन भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकॉर्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजात को बदलने का आदेश ना हों। भू प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त करके नये रिकॉर्ड में अंकन करे। 2022 (1) तीजो बनाम बाबूलाल पृष्ठ 35 में प्रतिपादित पर बदलें। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है, कि

भू प्रबंध विभाग को सेटलमेंट के रेकॉर्ड के अनुसार ही द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियों को रेकॉर्ड का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि गत सेटलमेंट के अनुसार आबादी भूमि में इन्द्राज होने के उपरांत द्वितीय भू प्रबंध के समय बिना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृत के नदी में रेकॉर्ड इन्द्राज कर दिया गया। जिसका तत्समय द्वितीय भू प्रबंध विभाग को कोई कानूनी अधिकारी नहीं था। ऐसा इन्द्राज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना आवश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज विप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया। जिससे यह जाहिर हो कि आबादी भूमि के स्थान पर गैर मुमकिन नदी का भाग इन्द्राज करने का आदेश पारित हुआ

  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) जयपुर

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के अधिमतों अनुसार किसी भी खातेदारों के हकों/अधिकारों में न तो भू प्रबंध विभाग द्वारा कमी जा सकती है और न ही जोड़ा ही जाता है। भू प्रबंध विभाग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है,जिसके तहत मात्र पूर्व प्रविष्टि को नये नाप को दोहराना भर होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी की विवादित भूमि में हुए रेकॉर्ड में फेरबदल गत सेन्टलमेंट के अनुसार ही दुरुस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। क्योंकि भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार का कृत्य है। साथ ही विप्रार्थी की ओर से अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है,कि पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था,जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया,जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक/प/14/(28)(1)भूअ./रा.प्र./ 2018 /5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित

कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 245 व 261 का भाग होना पाया गया था,जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। जिससे स्पष्ट साबित होता है कि विवादित भूमि नदी में न होकर आबादी भूमि की सीमा के अन्दर है और द्वितीय सेन्टलमेंट द्वारा उक्त भूमि को गैर मुमकिन नदी के खसरे में शामिल करने में लिपिकीय त्रुटि है,जो कृत्य बिना क्षेत्राधिकार का है। जहां तक विप्रार्थी द्वारा बिन्दु उठाया कि पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होना का दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया है,उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है,क्योंकि प्रार्थी नें विवादित भूमि पर कब्जा/स्वामित्व की शाश्वत लीज प्रतियां पेश की है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बाड़मेर

हाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पंचपदरा को आदेशित किया जाता है कि द्वितीय भू प्रबंध के वक्त की गई उक्त त्रुटि को माफिक प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(नरेष्ठा सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.9.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा  
(S.D.O.) बालोतरा

